

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 6]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 7 जनवरी 2015—पौष 17, शक 1936

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 जनवरी 2015

अधि. क्र. 125 एफ-1-11-2013-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994, के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगरपालिका परिषद्, सारंगपुर, जिला राजगढ़ के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निमानुसार प्रकाशित की जाती है :—

सूची

क्र.	वर्ग जिसके लिए आरक्षण किया गया	कुल वार्ड	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	02 इंदिरा गांधी वार्ड 09 डॉ. भीमराव अम्बेडकर वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कुल वार्ड	निरंक	निरंक
3	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षित कुल वार्ड	05	01 महात्मा गांधी वार्ड 06 चंद्रशेखर आजाद वार्ड 08 डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड 14 राजीव गांधी वार्ड 16 रानी रूपमती वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड.	01	09 डॉ. भीमराव अम्बेडकर वार्ड

(1)	(2)	(3)	(4)
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड.	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड.	03	01 महात्मा गांधी वार्ड 14 राजीव गांधी वार्ड 16 रानी रूपमती वार्ड
7	महिलाओं के लिए (उक्त सरल क्रमांक 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड.	05	04 जवाहरलाल नेहरू वार्ड 05 सुभाषचंद बोस वार्ड 07 पण्डित मदन मोहन मालवीय वार्ड 11 मौलाना अब्दुल कलाम आजाद वार्ड 15 डॉ. राधाकृष्णन वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. कातिया, उपसचिव,